



खेती री बातें



वर्ष-15 अंक-11 मासिक पत्रिका आर.एन.आई - 70296/98 5 नवम्बर 2012 वार्षिक शुल्क -12 रुपये

पात्र व्यक्ति को लाभान्वित किया जाये



बीकानेर, 25 अक्टूबर। कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री हरजीराम बुरडक ने बीकानेर में बीसूका की प्रथम स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। अधिकारी पूर्ण गम्भीरता के साथ कार्य करते हुए सरकार की मंशा के अनुरूप पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करें।

उन्होंने कहा कि "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" के तहत स्वरोजगार लाभार्थियों के आवेदनों का अविलम्ब निस्तारण किया जाए तथा बैंकों में लंबित ऋण सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र पूरी करवाई जाए। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। श्री बुरडक ने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देने के लिए "जननी एकसप्रेस योजना" शुरु की गई है, ग्रामीणों को

इसका लाभ दिलाने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में बनने वाला पोषाहार पूर्ण गुणवत्तायुक्त हो, इसकी नियमित जांच की जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शौचालय निर्माण के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाए। जिला कलेक्टर आरती डोगरा ने कहा कि एस.जे.एस.वाई. योजना में 56 स्वयं सहायता समूहों का चिन्हिकरण किया

गया है, जिन्हें आय सृजित करने के कार्य दिए गए हैं। श्रम विभाग में न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन से संबंधित कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। बीसूका उपाध्यक्ष श्री हारुन राठौड़ ने कहा कि समाज कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। बैठक में बीकानेर पंचायत समिति प्रधान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

रबी अभियान:2012 का सफल समापन

किसानों को कृषि योजनाओं की जानकारी व लाभ पहुंचाने के लिए राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर "रबी अभियान 2012" का आयोजन दिनांक 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक किया गया। अभियान में 8,802 शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 5,92,936 कृषकों

की सहभागिता रही। अभियान में फसल बीज व सब्जी के 2,27,475 मिनिकिटों का वितरण किया गया। अभियान में 15,294 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये तथा 104166 मृदा नमूनों का संग्रहण किया गया। अभियान की प्रगति निम्नानुसार रही -

क्र.सं	मुख्य बिन्दु	कुल प्रगति
1	आयोजित शिविरों की (संख्या)	8802
2	जन सहभागिता कृषक (संख्या)	592936
3	अ. बीज मिनिकिट वितरण, कृषि एवं उद्यान (संख्या)	
	ब. फसल बीज मिनिकिट (संख्या)	224485
	स. सब्जी बीज मिनिकिट (संख्या)	2990
	योग	227475
4	मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण (संख्या)	15294
5	मृदा नमूना संग्रहण (संख्या)	104166
6	व्यक्तिगत लाभार्थी आवेदन पत्र (संख्या)	74857
7	प्रमाणित बीज वितरण (क्विंटल)	12884
8	उर्वरक वितरण (मै0 टन)	4936
9	जिप्सम वितरण (मै0 टन)	8735
10	बायो-फर्टीलाइजर वितरण (संख्या)	73021
11	ड्रिप के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र (संख्या)	894
12	फलदार पौधों की मांग (संख्या)	144999
13	कृषि संबंधी ज्ञान पुस्तिका का वितरण (संख्या)	135722
14	अन्य कृषि संबंधी साहित्य वितरण (संख्या)	1164295
15	राजीव गांधी किसान कल्याण योजना हेतु आवेदन	27
16	टीकाकरण पशुधन (संख्या)	397547
17	कृमिनाशक औषधि वितरण (पशुधन संख्या)	325522
18	किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या)	9503

सिंचाई जल प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत अनुदान

जल अनमोल है, इसकी प्रत्येक बूंद का सदुपयोग हमारा ध्येय होना चाहिए। जल के समुचित उपयोग हेतु कृषि विभाग द्वारा निम्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं :-

डिग्गी निर्माण कार्यक्रम -

यह कार्यक्रम राज्य के नहर सिंचित जिलों -श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बारां एवं बूंदी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।



कृषकों द्वारा 4.00 लाख लीटर एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी निर्माण करने पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रुपये 3.00 लाख जो भी कम हो, अनुदान देय है।

जल हौज -

अनुदान हेतु हौज का आकार 40X30X06 फीट (7200 घन फीट) अथवा 2 लाख लीटर क्षमता से कम नहीं होना चाहिए। सभी श्रेणी के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 60,000/- जो भी कम हो अनुदान देय है। यह कार्यक्रम

राज्य के जयपुर, अजमेर, दौसा, सीकर, झुन्झुनु, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जालौर, पाली, बूंदी व सिरोही जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

फार्म पौण्ड/खेत तलाई -

यह कार्यक्रम राज्य के समस्त जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। अनुदान हेतु फार्म पौण्ड का न्यूनतम आकार 20X20X3 मीटर (1200 घन मीटर) होनी चाहिये। फार्म पौण्ड/ खेत तलाई निर्माण पर लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति / जनजाति एवं महिला कृषकों को लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 60,000/- रुपये, जो भी कम हो तथा सामान्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 60,000/- रुपये जो भी कम हो, अनुदान देय है।

सिंचाई पाईप लाइन कार्यक्रम -

जल बचत से अधिक क्षेत्र में सिंचाई करने हेतु सिंचाई पाईपलाइन कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। एच.डी.पी.ई./पी.वी.सी. सभी आकार की पाईपलाइन स्थापित करने के लिए कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000/-रुपये जो भी कम हो या अधिकतम 18.75 रुपये प्रति मीटर की दर से अनुदान सहायता देय है।

E mail : kheti_ri_batan@yahoo.co.in

इस अंक में...

www.krishi.rajasthan.gov.in



- इस माह के कृषि कार्य....
- गेहूँ की अधिक उपज.....

पृष्ठ 2



- सफल कृषक की कहानी.....
- परख.....
- बीज एवं किस्म का चयन.....

पृष्ठ 3



- जीरे का उत्पादन बढ़ाएं....
- प्रमाणित बीज की विक्रय दरें.....

पृष्ठ 4

इस माह के कृषि कार्य

फसलोत्पादन

- ★ **रबी मक्का** की गंगा 2, गंगा-11, माही धवल किस्मों की बुवाई 15 नवम्बर तक करें।
- ★ **सरसों** में पहली सिंचाई फूल आने से पहले करें।
- ★ सिंचित **जौ** की बुवाई का यह उचित समय है। आर.डी. 2035, आर. डी. 2508, आर. डी. 2660, आर.डी. 2052, आर.डी. 2503, आर.डी. 2592, आर.डी. 2552 एवं आर.डी. 2624 जौ की उन्नत किस्में हैं।
- ★ **चने** में कटवर्म कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियोन 2 प्रतिशत चूर्ण या क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण 25 किग्रा प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें।
- ★ **मटर व चने** में फली छेदक कीट के नियंत्रण हेतु फूल आते समय एन.पी.वी.250 एल.ई. 125 मिलीलीटर प्रति हैक्टर का पानी में घोल बनाकर 5 दिन के अंतराल पर तीन बार छिड़काव करें।
- ★ **सरसों** में पेन्टेड बग कीट की रोकथाम के लिए मिथाइल पैराथियोन 2 प्रतिशत चूर्ण या मैलाथियोन 5 प्रतिशत चूर्ण अथवा कार्बेरिल 5 प्रतिशत चूर्ण 25 किग्रा प्रति हैक्टर की दर से प्रातः या सायंकाल भुरकाव करें।

बागवानी

- ★ **बेर** में छोटे-छोटे फल बनना शुरू हों, तो आयु के अनुसार प्रति पौधा यूरिया देवें तथा सिंचाई करें।

- 4 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पौधों को 1.2 किलोग्राम यूरिया प्रति पौधे के हिसाब से देवें।
- ★ नये लगाए गए **बगीचों** में कुष्माण्ड कुल की सब्जियों के अलावा अन्य सब्जियों जैसे मटर, मिर्च, प्याज, बैंगन, मूली आदि की फसल लेवें।



- ★ नींबू, अनार, फालसा, पपीता, आंवले में **छाल भक्षक कीट** की रोकथाम हेतु एसीफेट 70 एस.पी. दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर शाखाओं व डालियों पर छिड़काव करें।
- ★ **नींबू** में सिट्रस कैंकर का प्रकोप होने पर टहनियों, पत्तियों व फलों पर भूरे कॉर्कनुमा धब्बे बनते हैं। रोग के प्रकोप को रोकने के लिए कटाई-छंटाई के बाद बोर्डो मिक्चर (4:4:50) या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 मि.ग्रा. प्रति लीटर पानी के घोल का 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 मिलीग्राम एवं ताम्रयुक्त कवकनाशी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का

रोग दिखाई देते ही 20 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें।

सब्जियाँ

- ★ पिछेती **पत्ता गोभी** की खड़ी फसल में रोपाई के 30 दिन व 50 दिन बाद 66-66 किलो नत्रजन प्रति हैक्टर देवें व सिंचाई करें।
- ★ **बैंगन** में छोटी पत्ती रोग व भिण्डी में पीतशिरा विषाणुओं की रोकथाम के लिए डाइमिथोएट 30 ई.सी. 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें।
- ★ **मिर्च** में जीवाणु पत्ती रोग की रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 मिलीग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें।

पुष्पोत्पादन

- ★ वार्षिक **गुलदाउदी** की बीजों द्वारा नर्सरी तैयार करें।
- ★ **गुलाब** की कटाई-छंटाई करते समय सूखी व रोगग्रस्त टहनियां काट देवें। कलमों द्वारा पौधे तैयार करें।



मसाले

- ★ **मेथी** की बुवाई मध्य नवम्बर तक की जा सकती है। मेथी की उन्नत किस्में आर.एम.टी-1, आर.एम. टी-143, राजेन्द्र क्रांति का 20-25 किलो बीज प्रति हैक्टर की दर

से काम में लेवें।

- ★ धनिया की फसल की बुवाई के लिए उपयुक्त समय मध्य नवम्बर तक है। बुवाई हेतु आर.सी.आर. 41, यू.डी. 20, सी.एस. 6, आर. सी.आर. 436 किस्मों का 15-20 किलो बीज प्रति हैक्टर की दर से बीजोपचार कर काम में लेवें।
- ★ **हल्दी व अदरक** में निराई-गुड़ाई कर पौधों पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें।
- ★ लहसुन एवं अजवाइन की बुवाई का यह उचित समय है। **लहसुन** की यमुना सफेद (जी-1), यमुना सफेद (जी-2), एग्री फाउण्ड सफेद (जी-282), लाडवा, मलेवा एवं **अजवाइन** की लाभ सलेक्शन-1, लाभ सलेक्शन-2, गुजरात अजवाइन-1 उन्नत किस्में हैं। एक हैक्टर में बुवाई के लिए अजवाइन का 2 से 4 किलो बीज पर्याप्त होता है।

चारा फसलें

- ★ **रिजके** की बुवाई का भी यह उचित समय है। आनन्द-2, एलएलसी-3 (वार्षिक) तथा टाईप 9, आरएल-88, इगफ्री 244 (बहुवर्षीय) रिजके की उन्नत किस्में हैं। शुरु की कटाईयों में अधिक चारा प्राप्त करने के लिए करीब 2 किलो सरसों या 12 किलो मेथी को रिजके के बीज के साथ मिलाकर बुवाई करें।
- ★ रिजके की बुवाई के 45 दिन बाद पहली कटाई करें।

गेहूँ की अधिक उपज प्राप्त करने हेतु प्रभावी बिन्दु

1. समय पर बुवाई नवम्बर के प्रथम सप्ताह से तीसरे सप्ताह तक तथा देर से बुवाई नवम्बर के चौथे सप्ताह तक करें।
2. कृषि जलवायुवीय खण्ड हेतु सिफारिशानुसार किस्मों का प्रमाणित बीज उपयोग करें।
3. बीजोपचार :-
 - ◆ बीजोड़ रोगों से बचाव हेतु 2 ग्राम थाइरम या 2.5 ग्राम मेन्कोजेब प्रति किलो बीज की दर से बीजों को उपचारित करें।
 - ◆ अनावृत कण्डवा एवं पत्ती कण्डवा रोग के नियंत्रण हेतु वीटावैक्स या कार्बेन्डेजिम 2 ग्राम प्रतिकिलो बीज की दर से बीजोपचार करें।
 - ◆ दीमक के नियंत्रण हेतु 100 किलो बीज में 450 मि0ली0

क्लोरोपायरीफॉस 20 ई0सी0 से बीज को उपचारित करें।

- ◆ एजोटोबैक्टर/पी.एस.बी. प्रत्येक कल्चर के तीन पैकेट से एक हैक्टर हेतु आवश्यक बीज को उपचारित करें।



- ◆ बीजोपचार में एफ.आई.आर. क्रम (कवकनाशी-कीटनाशी-राइजोबियम) का अवश्य ध्यान रखें।

4. सन्तुलित उर्वरक का उपयोग

(यथा संभव मृदा परीक्षण सिफारिशानुसार) बुवाई पूर्व ऊर कर करें एवं खड़ी फसल में नत्रजन उर्वरक की शेष 50 प्रतिशत मात्रा (पहली व दूसरी सिंचाई के समय बराबर मात्रा में) देवें। असिंचित गेहूँ व तालाबी पेटा कास्त भूमि में उर्वरक की सम्पूर्ण मात्रा बुवाई पूर्व सीधे भूमि में ऊर कर दें।

5. फसल की निम्न क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करें :-

- ◆ पहली सिंचाई - शीर्ष जड़ जमते समय (20-25 दिन)
- ◆ दूसरी सिंचाई - फुटान की अवस्था पर (45-50 दिन)
- ◆ तीसरी सिंचाई - गांठ बनने की अवस्था पर (65-70 दिन)
- ◆ चौथी सिंचाई - बालियां बनते

समय (85-90 दिन)

- ◆ पांचवी सिंचाई - दानों की दुधिया अवस्था पर (100-110 दिन)
- ◆ छठी सिंचाई-दाना पकते समय (115-120) दिन
- ◆ सीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने की स्थिति में पांच सिंचाई प्रथम पांच अवस्थाओं पर एवं चार सिंचाई उपलब्ध होने पर शीर्ष जड़ जमते समय, फुटान की उत्तरावस्था, बालियां आते समय एवं चौथी सिंचाई दानों की दूधिया अवस्था पर करें।
- 6. निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण :-
 - ◆ प्रथम सिंचाई के 10-12 दिन बाद निराई-गुड़ाई करें एवं जहाँ नीदानाशी द्वारा खरपतवार शेष पृष्ठ 4 पर.....

अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील के एक छोटे से गाँव **चुरली** के किसान **श्री रामदेव** पुत्र श्री श्योनारायण जाट का परिवार खेती कर अपना जीवनयापन कर रहा था, घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 8 वीं कक्षा के बाद ही रामदेव ने पढ़ाई छोड़ दी। चार भाईयों के परिवार में सिर्फ 35 बीघा जमीन ही थी जो भी पथरीलि थी। एक कृषक परिवार से होने के कारण शुरू से ही खेती में उनकी खास रुचि थी। रामदेव को शुरू से ही खेती में कुछ नया करने की लगन थी जिसके परिणामस्वरूप सर्वप्रथम उन्होंने 250 बीघा जमीन खरीदी। अब जमीन खरीदने के बाद उनके सामने खेती के लिए पानी की व्यवस्था करना एक चुनौती थी। अजमेर जिले में लगातार भूमी जल स्तर निचे जाने से डार्क जोन में सम्मिलित है तथा खेती एक जोखिम का कार्य है। उन्होंने कई कृषि संबंधित भ्रमण किये एवं कृषि विभाग के अधिकारियों से चर्चा की तथा गाँव वालों के साथ मिलकर खेत के पास से जा रहे नाले पर एनीकट बनाया जिससे कुओं के जल स्तर में भारी बढ़ोतरी हुई तथा आज इनके खेत में कुओं का जलस्तर मात्र

जल संरक्षण से गाँव की काया पलट (सफल कृषक की कहानी)

4 फीट गहरा है। शुरू में उद्यान विभाग से अनुदान पर गाँव में 50 X 500 X 9 फीट का "कम्यूनिटी फार्म पॉण्ड" बनवाया जिसके तहत 4 हैक्टर में फलों/फूलों का बगीचा ड्रीप के साथ लगाया।

3 हैक्टर बगीचे में आँवला 5.5 बीघा, नींबू 4 बीघा, अनार 4.5 बीघा, लेहसुवा (गूदा) 5 बीघा व कुछ पौधे बेर व संतरा के लगाकर बगीचा तैयार किया। बगीचा

लगाने के चौथे साल उन्हें फलों को बेचकर 50-60 हजार रुपये आमदनी मिलना शुरू हुई।

रामदेव खेती के साथ-साथ **पशुपालन** से भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उनके पास उन्नत किस्म की 10 गीर गाय एवं 15 मुर्रा भैंस हैं जिनसे प्रतिदिन 70 किलो दूध से महिने में लगभग 90 हजार रुपये मिलते हैं।

जैविक खेती से उत्पादित गेहूँ, दालें खरीदने लोग घर पर ही आ जाते हैं जिससे कीमत भी बाजार से ज्यादा मिलती है।

उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने के लिए विभाग से अनुदान पर हाई-टैक नर्सरी स्थापना एवं जल हौज का निर्माण करवाया है। उन्होंने दुर्गापुरा स्थल ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अजमेर जिले के उद्यान विभाग के कार्यालय जाकर अधिकारियों से चर्चा कर हाई-टैक नर्सरी की जानकारी प्राप्त की। अनुदान के लिए बैंक ऑफ बड़ोदा से 25 लाख रुपये का ऋण एवं विभाग द्वारा 50 प्रतिशत (12.50 लाख रुपये) के

अनुदान पर नर्सरी की स्थापना की। 2000 वर्ग गज में शैड-नेट हाऊस व 500 वर्ग गज में पॉली हाऊस, 80 X 30 X 5.5 फीट जल होज, डीजल जनरेटर सेट व स्टोरेज हेतु भवन इस अनुदान में शामिल था। रामदेव शैड-नेट व पॉली हाऊस में फल, फूल व सब्जी की उच्च गुणवत्ता युक्त खेती कर रहे हैं। उन्होंने 1 हैक्टर में मटर प्लांट तैयार किये हैं। नर्सरी में

1 लाख नींबू के पौधे व 50 हजार लेहसुवा (गूदा) के पौधे तैयार किये हैं। जिससे उन्हें प्रथम वर्ष ही 30-35 हजार रुपये की आमदनी मिलना प्रारम्भ हो गई थी। खेती में भूमी सुधार हेतु मिट्टी परीक्षण के आधार पर जिप्सम का उपयोग किया जिससे इनके खेत की उर्वरा क्षमता अधिक होने से अच्छा उत्पादन मिलता है।

रामदेव ने कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन के साथ-साथ **मत्स्य पालन** कर अपनी एक अनोखी मिसाल कायम की है। यह जल संरक्षण हेतु बनाये एनीकट में मत्स्य विभाग अजमेर व आर.के.वी.वाई के सहयोग से हेचरी बनाकर मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य कर रहे हैं तथा मछली उत्पादन से अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना में उन्हें मत्स्य विभाग द्वारा 3 लाख रुपये अनुदान प्राप्त हुआ है। कृषक ने खेती में रासायनिक खाद व उर्वरक का उपयोग न्यूनतम किया और जैविक खेती हेतु राज0 राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन संस्था जयपुर में रजिस्ट्रेशन करवा कर जैविक खेती

करना प्रारम्भ किया। जैविक उत्पाद जैसे मसालों, अनाज, फलों का देश-विदेश में निर्यात कर मुनाफा कमाने की उनकी योजना है। इन्होंने अनुदान पर उन्नत कृषि यन्त्र लेकर उन्नत कृषि को नया आयाम दिया है साथ ही उन्नत कृषि यन्त्रों से खेती कर उन्होंने समय, श्रम व पैसों की बचत भी की है। उन्नत कृषि यन्त्रों में मल्टीक्रॉप थ्रेसर, चैफ कटर, रोटावेटर, हॉल डीगर, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, बण्डफोर्मेर व रीपर आदि यन्त्रों से खेती कर रहे हैं। इन्होंने ट्रैक्टर पर 1.5 लाख, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल पर 10 हजार, रोटावेटर पर 35 हजार का अनुदान कृषि विभाग से प्राप्त किया है।

रामदेव द्वारा प्याज की खेती की जा रही है। इनके खेत में प्याज की फसल का ज्यादा दिन भंडारण किया जाना संभव नहीं होता था व प्याज सड़ जाने से कम दामों में बेचना पड़ता था। प्याज की भंडारण अवधि बढ़ाने के लिये श्री रामदेव ने विभागीय अनुदान पर **प्याज भण्डारण ईकाई** की स्थापना की जिससे इन्हें 2 वर्ष से प्याज के अच्छे भाव मिल रहे हैं। रामदेव के प्रयासों एवं उन्नत खेती के कारण भारत सरकार की विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) द्वारा वर्ष 2010 में आयोजित "राज्य स्तरीय कृषक सम्मान समारोह" में उन्हें अजमेर जिला स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इस प्रकार चुरली जैसे एक छोटे से गाँव के कृषक रामदेव ने उन्नत मिश्रित खेती व खेती में नवाचार अपना कर प्रदेश के किसानों के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल कायम की है।

कृषक का पता है :-
रामदेव पुत्र श्री श्योनारायण जाट गाँव- चुरली, पोस्ट- पाटन, तहसील- किशनगढ़, जिला-अजमेर, मो.नं.- 9950999551

परख

अक्टूबर, 2012 के अंक में प्रकाशित आलेख में से दो प्रश्न पूछे गये थे। सही उत्तर भेजने वाले कृषकों में से लॉटरी द्वारा चुने गये दो विजेता कृषकों के नाम हैं-

1. श्री प्रकाश पुष्करना,
पुत्र श्री शोभालाल पुष्करना,
ग्राम- इण्टाली,
वाया- फतहनगर,
तहसील- मावली,
उदयपुर-313205
2. श्रीमती कविता खण्डेलवाल
पत्नी श्री शिवकुमार वर्मा,
ग्राम पोस्ट-रतनपुरा
तहसील- श्रीमाधोपुर
जिला-सीकर-332712

इस माह के प्रश्न हैं -

- प्र.1 मिर्च में जीवाणु पत्ती रोग की रोकथाम बताएं ?
प्र.2 गेहूँ में थायोरिया का छिड़काव किस अवस्था पर करना चाहिए ?
तो आप भी उठाइये पैन व पोस्ट कार्ड और हमें लिख भेजिये इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब इस पते पर -
उप निदेशक कृषि (सूचना),
कमरा नम्बर 118,
पंत कृषि भवन, जयपुर 302005

बीज एवं किस्म का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

- ▲ बीज अधिक उपज देने वाला हो।
- ▲ कम समय व कम पानी में पकाने वाला हो।
- ▲ सूखा सहन करने वाला हो।
- ▲ फसल पर कीट व रोग का कम से कम असर हो।
- ▲ क्षेत्र की जलवायु को सहन करने वाला हो।
- ▲ खराब बीज होने पर बीज, खाद व उर्वरक, पानी, खेत की तैयारी किसान की मेहनत व लागत बेकार हो जाती है।



स्वस्थ पौधे में अधिक बालियाँ, अधिक दाने

प्रमाणित बीज से स्वस्थ रोग रहित पौधा

प्रमाणित बीज



भरपूर उपज

बीज जनित रोगों से बचाव हेतु बीज को उपचारित करके बोएं।

ऐसे मंगवायें "खेती की बातां"

घर बैठे वर्षभर खेती की बातां अखबार मंगवाने के लिये अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें या आहरण वितरण अधिकारी, कृषि आयुक्तालय कमरा नं. 250, पंत कृषि भवन, जयपुर के नाम 12/- रुपये का मनीऑर्डर भेजें। स्वयं का साफ-साफ डाक का पूरा पता, पिन कोड नंबर व मोबाइल नंबर अवश्य लिखें।

डाक पं.सं. RJ/JPC/M-16/2012-14

आर.एन.आई - 70296/98



प्रेषक-

उप निदेशक कृषि (सूचना)

118, पंत कृषि भवन,

जयपुर-302005

प्रेषित-

सुथरी कृषि क्रियाएं अपनाएं, जीरे का उत्पादन बढ़ाएं

जीरा राज्य की प्रमुख मसाला फसल है तथा बीजीय फसलों में इसका अहम स्थान है। इसकी खेती से कम लागत व कम समय में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। अधिक आमदनी के लिए जीरे की गुणवत्ता अच्छी होना आवश्यक है। परन्तु कीटनाशक रसायनों के अधिक व अव्यवाहरिक उपयोग के कारण, उत्पादित होने वाले जीरे में इन रसायनों की अवशेष मात्रा जीरे की गुणवत्ता को कम करती है। फलस्वरूप निर्यात के अवसर भी कम होते हैं व कृषकों को अपेक्षाकृत आमदनी भी प्राप्त नहीं हो पाती है।

जीरा फसल उत्पादन में कीटनाशक रसायनों के अवशेष प्रभाव को समाप्त करने तथा गुणवत्ता में वृद्धि हेतु निम्नानुसार उन्नत कृषि क्रियाएं अपनानी चाहिए:-

भूमि व खेत की तैयारी :-
अच्छे जल निकास वाली, जीवांश युक्त, उपजाऊ, बलुई दोमट भूमि जीरे के लिए अच्छी रहती है। प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में 2-3 जुताई देशी हल या हैरो से कर पाटा लगाएं। मिट्टी को ढेले रहित कर समतल करें।

बीज की मात्रा :- 12-15 किग्रा/हैक्टर रखें।



बीज उपचार :- 2.5 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलो बीज या 4-6 ग्राम ट्राईकोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें।

बुवाई :- 15-30 नवम्बर के मध्य कतारों में बुवाई करें। कतार से कतार 25-30 सेमी व पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखें।

खाद एवं उर्वरक :-
मिट्टी की जाँच व सिफारिश के अनुसार खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। सामान्य सिफारिश के अनुसार गोबर की सड़ी खाद 10-15 टन/है0 बुवाई के 3-4 सप्ताह पूर्व तथा 33 किग्रा यूरिया व 138 किग्रा सिंगल सुपर फॉस्फेट बुवाई के समय पर एवं 16 किग्रा यूरिया 30 दिन बाद व 16 किग्रा यूरिया 60 दिन पर छिटक कर

देवें।

निराई-गुड़ाई :- खेत को खरपतवार मुक्त रखें। लगभग 30-35 दिन की फसल होने पर निराई-गुड़ाई की जानी चाहिए। प्रथम निराई-गुड़ाई हेतु समय पर निराई-गुड़ाई कर खरपतवारनाशी रसायनों के प्रयोग से बचना चाहिये। प्रथम निराई-गुड़ाई के 20-25 दिन बाद दूसरी निराई-गुड़ाई करें।

उन्नत किस्में :- आर.एस.- 1, आर.जेड.-19, आर.जेड.-209, जी.जी.-1 एवं जी.जी.-3

फसल की कीट व रोगों से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली क्रियाएं :-

1. कीटनाशक दवा की सिफारिश की गई मात्रा का प्रयोग सही विधि से करें।

प्रमुख कीट/रोग हेतु सिफारिश की गई दवा व मात्रा :-

• **चोंपा या मोयला कीट :-** डाइमियोएट या मैलाथियोन 50 ई.सी. 1 मि.ली. दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

• **झुलसा रोग:-** कार्बेन्डेजिम या मेन्कोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

• **छाछया रोग :-** गंधक चूर्ण 20-25 किग्रा/है0 या केराथेन एल.सी.

1 मि.ली./लीटर पानी।

• **उखटा रोग-2** ग्राम कार्बेन्डेजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बुवाई करें। रोग रहित फसल का बीज बोए, रोग ग्रसित खेत में जीरा नहीं बोए, तीन वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। बुवाई पूर्व खेत में 150 किग्रा/है0 की दर से नीम की खली उपयोग में लें।

2. **कीटों व व्याधियों के लिए निम्न पौध संरक्षण उपाय अपनाएं-**

प्रथम छिड़काव- बुवाई के 30-35 दिन बाद फसल पर मेन्कोजेब 2 ग्राम/लीटर पानी के अनुसार छिड़काव करें।

द्वितीय छिड़काव :- बुवाई के 45-50 दिन बाद फफूंदनाशी के साथ केराथेन 1 मि.ली. तथा डाईमियोएट 30 ई.सी. 1 मि.ली./लीटर पानी के अनुसार छिड़काव करें।

तृतीय छिड़काव :- दूसरे छिड़काव के 10-15 दिन बाद 25 किलो गंधक का चूर्ण प्रति हैक्टर भुरकाव करें।

3. दवा का छिड़काव यदि पुनः करना हो तो सुझाए गए अंतराल पर करें।

4. जीरे की पत्तियां बारीक व छोटी होती हैं, अतः दवा के छिड़काव के लिए 50250 नम्बर का ही हॉलोकोन नोजल काम में लें।

5. दवा का छिड़काव प्राथमिकता से सुबह अथवा शाम के समय, हवा के रुख के अनुसार करें। हवा के विपरित दिशा में छिड़काव न करें, समान रूप से फसल में छिड़काव करें।

6. बार-बार एक ही दवा की ज्यादा मात्रा काम में न लें।

7. खेत व मेड़ पर अनचाहे पौधे नहीं पनपने दें, खेत को साफ रखें।

8. कीटनाशी दवा छिड़कने के बाद निर्धारित अवधि तक प्रतीक्षा करें।

पृष्ठ 2 का शेष.....गेहूँ की अधिक.....

नियंत्रण करना हो वहाँ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु बोनी किस्मों में बुवाई के 30 से 35 दिन के बाद 2,4-डी 500 ग्राम एस्टर सॉल्ट या 750 ग्राम अमाइन सॉल्ट सक्रिय तत्व प्रति हैक्टर की दर से

रबी 2012-13 हेतु प्रमाणित बीज की विक्रय दरें घोषित

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने रबी 2012-13 में सामान्य वितरण हेतु निम्नलिखित प्रमाणित बीजों की विक्रय दर घोषित की है :-

क्र. सं.	फसल	किस्म	विक्रय मूल्य (रु./ विव.)
1.	गेहूँ	राज-4037	1750
2.	गेहूँ	सी-306	2300
3.	गेहूँ	सभी किस्में	1850
4.	जौ	सभी किस्में	1250
5.	जीरा	सभी किस्में	17500
6.	धनियाँ	सभी किस्में	5500

500-700 लीटर पानी में घोलकर एक समान छिड़काव करें।

♦ गुल्ली डण्डा व जंगली जई खरपतवार के नियंत्रण हेतु गेहूँ की बुवाई के 30-35 दिन के बीच आइसोप्रोट्यूरान अथवा मेटाक्सिरॉन अथवा मेजोबेन्जाथायोजूरॉन खरपतारनाशी रसायन को हल्की मिट्टी में 750 ग्राम तथा भारी मिट्टी हेतु 1.25 किलो सक्रिय तत्व प्रति हैक्टर की दर से पानी में घोल बनाकर समान छिड़काव करें। इसका छिड़काव करने पर घास कुल व चौड़ी पत्ती वाले सभी खरपतवार समूल नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रहे कहीं भी दोहरा छिड़काव न हो पाये।

7. जस्ते की कमी वाले खेतों में 25 किलो जिंक सल्फेट या 10 किलो चिलेटेड जिंक प्रति हैक्टर की दर से बुवाई से पूर्व देवें। या

खड़ी फसल में जस्ते की कमी के लक्षण दिखाई देने पर 5 किलो जिंक सल्फेट प्रति हैक्टर 800-1000 ली0 पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें एवं आवश्यकतानुसार छिड़काव दोहरायें।

8. थायोजूरिया का 500 पी.पी.एम. (0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में) का छिड़काव फुटान एवं बालियां आने की अवस्था पर करें।

9. पाले से बचाव हेतु उत्तरी दिशा की मेड़ों पर धुंआ करें अथवा हल्की सिंचाई करें अथवा 0.1 प्रतिशत व्यापारिक सल्फयूरिक अम्ल का छिड़काव करें।

किसान भाइयों, इस प्रकार उपरोक्त प्रभावी बिन्दुओं को अपनाकर सामान्य परिस्थितियों में गेहूँ की 40-50 क्विंटल प्रति हैक्टर उपज प्राप्त की जा सकती है।

स्वत्वाधिकारी कृषि विभाग राजस्थान सरकार के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक आयुक्त कृषि, कृषि विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा कृषि सूचना मुद्रणालय जयपुर से मुद्रित और पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर से प्रकाशित।
प्रकाशक - एम.एल.सालोदिया
सम्पादक - भंवरा राम कड़वा
सह सम्पादक - पूनम चौधरी
परामर्श - शिवजी राम कटारिया
डिजाइनर - आर. मैसी